<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2077

11 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

नई इस्पात नीति

2077. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रिमंडल ने हाल ही में नई इस्पात नीति को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो नई इस्पात नीति की विशेषताएं, लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या-क्या हैं तथा यह मौजूदा नीति से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) सरकार द्वारा घरेलू इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिए घरेलू इस्पात के उपयोग को अनिवार्य नहीं बनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस्पात क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किस तरीके से जुटाने वाली है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): जी नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): सरकार ने सरकारी प्रापण में स्वदेशी विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) को प्राथमिकता देने के लिए 08 मई 2017 को एक नीति अधिसूचित की है तथा स्वदेशी इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बाद में इसे 27 मई 2019 को संशोधित किया है।

(घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। इस्पात कंपनियाँ बाजार के समीकरणों को देखते हुए निवेशों के लिए अपने निर्णय खुद लेती हैं। आवश्यक निवेशों को इस्पात कंपनियों द्वारा उनके वाणिज्यिक एवं वित्तीय मूल्यांकन के अनुसार उनकी अपनी इक्विटी एवं ऋण से जुटाया जाता है।

****